

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

कमांक:-स्था.(रा.न्या.से.)/सं.प.अ./117 /2022 दिनांक : 10 .09.2022

श्रीमती रंजना-II (RJ0912), प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, सीकर को दिनांक 12.09.2022 से 17.09.2022 तक 06 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 10.09.2022 से 11.09.2022 एवं 18.09.2022 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती रंजना की अनुपस्थिति में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, सीकर के पद पर ही होने की संभावना है।

जीजा से
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण) 10.09.2022

कमांक:-स्था.बी.2(4)/83/2015/6208

दिनांक : 10 .09.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सीकर को उनके पत्रांक 4416 दिनांक 20.08.2022 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती रंजना-II (RJ0912), प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, सीकर।
4. प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, सीकर।
5. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर।

12.9.2022
सहायक रजिस्ट्रार